

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजरव) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठारसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि०न० 156/2025

1 रविन्द्र पाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति राजपूत निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़

वादी

बनाम्

2 तहसीलदार राजरव टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 24/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु
प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित
होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है
चकन० 8 जीजीआर के खाता सं० 67/60, चकन० 7 एसआर डबल्यू के खाता सं०
26/23, चकन० 6 जीजीआर के खाता सं० 54/21 में वादी का नाम रविन्द्रसिंह पुत्र
बलवीरसिंह के स्थान पर वादी का नाम दुरुस्त कर सही नाम रविन्द्र पाल सिंह पुत्र
बलवीरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं यदि वादी पर किराी भी प्रकार कोई
आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा।
तहसीलदार राजरव टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किराी सक्षम न्यायालय
का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजरव रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा
उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजरव)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।